[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

सा.का.नि. ....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये तारीख 1 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय तथा फीस) नियम, 2014 में, अनुलग्नक में, मद I (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 403 के तहत फाइल करने हेतु फीस) में, उप-मद 'ख' के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"ख. अभिहित शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए प्रारूप अथवा इस अधिनियम की धारा 92/137 के तहत प्रारूपों अथवा प्रभारों को छोड़कर को फाइल करने के लिए प्रारूपों के फाइल करने में विलंब होने के लिए अतिरिक्त शुल्क तथा उच्च अतिरिक्त शुल्क (कतिपय मामलों में) की निम्नलिखित सारणी लागू होगी : -

सारणी

क्र.सं.	विलंब की अवधि	सामान्य शुल्क के गुणज के रूप में अतिरिक्त शुल्क	सामान्य शुल्क के गुणज के रूप में उच्च अतिरिक्त शुल्क (कतिपय मामलों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	15 दिनों तक (धारा 139 तथा 157)	एक बार सामान्य शुल्क	-
2.	15 दिन से अधिक तथा 30 दिन तक (धारा 139 एवं 157) और शेष प्रारूपों में 30 दिन	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 2 गुना	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 3 गुना
3.	30 दिन से अधिक तथा 60 दिन तक	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 4 गुना	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 6 गुना
4.	60 दिन से अधिक तथा 90 दिन तक	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 6 गुना	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 9 गुना
5.	90 दिन से अधिक तथा 180 दिन तक	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 10 गुना	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 15 गुना
6.	180 दिन से अधिक	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 12 गुना	सामान्य फाइलिंग शुल्क का 18 गुना

टिप्पण 1: उच्च अतिरिक्त शुल्क देय होगा, यदि ऐसे विलंब से पिछली बार भरे गए ई-प्रारूप जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क या उच्च अतिरिक्त शुल्क, जैसा भी मामला हो, देय था, को फाइल करने की तिथि से तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि के भीतर दो या दो से अधिक बार ई-प्रारूप आईएनसी-22 या ई-प्रारूप पीएएस-3, जैसा भी मामला हो, को फाइल करने में किसी प्रकार का विलंब होता है।

टिप्पण 2: जब उच्च अतिरिक्त शुल्क देय होगा, अतिरिक्त शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

टिप्पण 3: कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय तथा फीस) संशोधन नियम, 2022 के प्रारंभ होने से पूर्व फाइल किए गए ई-प्रारूप आईएनसी-22 अथवा ई-प्रारूप पीएएस-3, जैसा भी मामला हो, की गणना उच्च अतिरिक्त शुल्क को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी।"।

[फा.सं.01/16/2013 सीएल-V (पार्ट-I)]

के.वी.आर. मूर्ति
11/01/2022

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, असाधारण, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि.268(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

क्र.सं.	**अधिसूचना संख्या**	**अधिसूचना की तारीख**
1.	सा.का.नि.297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि.122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि.438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि.493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि.48(अ)	20.01.2018
6.	सा.का.नि.435(अ)	07.05.2018
7.	सा.का.नि.616(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि.797(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि.905(अ)	20.09.2018
10.	सा.का.नि.143(अ)	21.02.2019
11.	सा.का.नि.329(अ)	25.04.2019
12.	सा.का.नि.340(अ)	30.04.2019
13.	सा.का.नि.527(अ)	25.07.2019
14.	सा.का.नि.749(अ)	30.09.2019
15.	सा.का.नि.127(अ)	18.02.2020
16.	सा.का.नि.170(अ)	12.03.2020

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 11th January, 2022

G.S.R. ......(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from **1st July, 2022.**

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, in item I (Fee for filing under section 403 of the Companies Act, 2013), for sub-item B, the following sub-item shall be substituted, namely:-

"B. Following Table of additional fee and higher additional fee (in certain cases) shall be applicable for delay in filing of forms other than for increase in Nominal share capital or forms under section 92/137 of the Act or forms for filing charges.

TABLE

Sl. No.	Period of delays	Additional fee as a multiple of normal fees	Higher additional fee as a multiple of normal fees (for certain cases)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Upto 15 days (sections 139 and 157)	One time of normal fees	-
2.	More than 15 days and upto 30 days (Section 139 and 157) and upto 30 days in remaining forms.	2 times of normal filing fees	3 times of normal filing fees
3.	More than 30 days and upto 60 days	4 times of normal filing fees	6 times of normal filing fees
4.	More than 60 days and upto 90 days	6 times of normal filing fees	9 times of normal filing fees
5.	More than 90 days and upto 180 days	10 times of normal filing fees	15 times of normal filing fees
6.	Beyond 180 days	12 times of normal filing fees	18 times of normal filing fees

Note 1: Higher additional fees shall be payable, if there is a delay in filing e-form INC-22, or e-form PAS-3, as the case may be, on two or more occasions, within a period of three hundred and sixty five days from the date of filing of the last such belated e-form for which additional fee or higher additional fee, as the case may be, was payable.

Note 2: Wherever higher additional fee is payable, additional fee shall not be charged.

Note 3: E-form INC-22, or e-form PAS-3, as the case may be, filed prior to the commencement of the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2022 shall not be reckoned for the purposes of determining higher additional fee.

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]

11/01/2022

(K.V.R. MURTY),

Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6.	G.S.R. 435(E)	07-05-2018
7.	G.S.R.616 (E)	05-07-2018
8.	G.S.R.797 (E)	21-08-2018
9.	G.S.R.905(E)	20-09-2018
10.	G.S.R.143 (E)	21-02-2019
11.	G.S.R.329 (E)	25-04-2019
12.	G.S.R.340 (E)	30-04-2019
13.	G.S.R. 527(E)	25-07-2019
14.	G.S.R. 749(E)	30-09-2019
15	G.S.R. 127(E)	18-02-2020
16	G.S.R. 170(E)	12-03-2020

****